

भारत का राजपत्र
The Gazette of India.

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 438] नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 20, 1973/अग्रहायण 29, 1895

No. 438] NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 20, 1973/AGRAHAYANA 29, 1895

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Banking)

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th December 1973

S.O. 786(E).—Whereas notice of the intention of the Central Government to amend, with effect from the 24th day of December 1973, Form A "FORM OF BALANCE-SHEET" set out in the Third Schedule to the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949), was published as required by sub-section (4) of section 29 of the said Act at page 1703 of the Gazette of India, Extraordinary, Part II Section 3 Sub-section (ii), dated the 19th September, 1973, under the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Banking) No. S.O. 506(E), dated the 18th September, 1973;

Now, therefore in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 29 of the said Act, the Central Government hereby makes the following amendment to Form A set out in the Third Schedule to the said Act, namely:—

In the said Form A, under the column relating to "CAPITAL AND LIABILITIES", for item 3 "Deposits and other Accounts" and the entries occurring thereunder, the following shall be substituted, namely:—

"Deposits and other Accounts:

Fixed Deposits

(i) from banks
(ii) from others
.....

Savings Bank Deposits

Current Accounts and Contingency
Accounts, etc.

(i) from banks
(ii) from others"

[No. F. 2/3/73-BOI]

D. M. SUKTHANKAR, Director.

(2415)

वित्त मंत्रालय

(बैंकिंग विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 दिसम्बर, 1973

एस० ओ० 786(अ).—यतः बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की तृतीय अनुसूची में उपवर्णित प्ररूप क “तुलन-पत्र का प्ररूप” में 24 दिसम्बर, 1973 से संशोधन करने के लिए केन्द्रीय सरकार के आशय की सूचना, उक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (4) द्वारा यथा अपेक्षित भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (बैंकिंग विभाग) की अधिसूचना सं० का०आ० 506 (अ), तारीख 18 सितम्बर, 1973 के अधीन भारत के राजपत्र, असाधारण भाग 2, खंड 3, उपखंड (II), तारीख 19 सितम्बर, 1973 के पृष्ठ 1704 पर प्रकाशित की गई थी;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम की तृतीय अनुसूची में उपवर्णित प्ररूप क में निम्नलिखित संशोधित करती है, अर्थात्:—

उक्त प्ररूप क में, “पूँजी और दायित्व” से संबंधित स्तंभ के नीचे, मद 3 “निक्षेप और अन्य खाते” और उनके अन्तर्गत अपने वाली प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखी जाएंगी, अर्थात्:—

“निक्षेप और अन्य खाते:

आवधिक निक्षेप

- (i) बैंकों से.....
(ii) अन्य से.....

बचत बैंक निक्षेप

खालू खाते और आकस्मिकता खाता,
आदि

- (i) बैंकों से.....
(ii) अन्य से.....”

[सं० फा० 2/3/73—बी ओ० I]

डी० एम० सुकथनकर, निदेशक ।